उत्तर प्रदेश सरकार

नियुक्ति अनुभाग–3

संख्या 20/1/74 नियुक्ति–3

लखनऊ, दिनांक 11 जून, 1975

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिबन्धात्मक खंड द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा–समाप्ति नियमावली, 1975)

संक्षिप्त नाम; प्रारम्भ तथा लागू होना

1––(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा–समाप्ति) नियमावली, 1975 कहलायेगी ।

(2) यह नियम और नियम 2, 3 तथा 4, दिनांक 30 जनवरी, 1953 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे और नियम 5 तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

(3) यह नियमावली उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगी जो उत्तर प्रदेश के कार्यों से सम्बद्ध किसी असैनिक पद (सिविल पोस्ट) पर हों और जो राज्यपाल के द्वारा बनाये गये नियमों से नियंत्रित होते हों, किन्तु जिनका उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन किसी स्थायी सरकारी पद पर स्वत्व (लीएन) न हो ।

परिभाषा

2––इस नियमावली में, "अस्थायी सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन कि अस्थायी पद पर स्थानापन्न या मूल सेवा से अथवा किसी स्थायी पद पर स्थानापन्न सेवा से है ।

सेवा की समाप्ति

3––(1) इस विषय पर विद्यमान किसी नियम या आदेश में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी अस्थायी सेवा में स्थित किसी सरकारी सेवक की सेवा किसी भी समय या तो सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को लिखित रूप में दी गई नोटिस द्वारा समाप्त की जा सकेगी ।

(2) नोटिस की अवधि एक मास होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे किसी सरकारी सेवक की सेवा तुरन्त समाप्त की जा सकेगी, और ऐसी समाप्ति पर सरकारी सेवक, नोटिस की अवधि के लिये या यथास्थिति ऐसी नोटिस एक मास से जितनी कम हो उतनी अवधि के लिये उसी दर पर अपने वेतन तथा भत्ते की, (यदि कोई हो) धनराशि के बराबर धन के दावेदार होने का हकदार होगा, जिस दर पर वह उनको अपनी सेवा समाप्ति के ठीक पहले पा रहा था :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी चाहे तो वह सरकारी सेवक से नोटिस के बदले में किसी शास्ति का भुगतान करने की अपेक्षा किये बिना किसी सरकारी सेवक को किसी नोटिस के बिना अवमुक्त कर सकेगा या कम अवधि की नोटिस स्वीकार कर सकेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी ऐसे सरकारी सेवक द्वारा, जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन या आसन्न हो, दी गई नोटिस तभी प्रभावी होगी, जब वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली जाय, किन्तु किसी आसन्न अनुशासनिक कार्यवाही की दशा में सरकारी सेवक को उसकी नोटिस स्वीकार न किये जाने की सूचना नोटिस की समाप्ति के पूर्व दी जायेगी ।

अपवाद

4––इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों की पदावधि या नियुक्ति या सेवायोजन की पदावधि निरन्तरता उनकी नियुक्ति या सेवायोजन की शर्तों द्वारा नियंत्रित होंगी, और इस नियमावली की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि उनकी नियुक्ति या सेवायोजन की समाप्ति के पूर्व उनको या उनके द्वारा एक मास की नोटिस या उसके बदले में वेतन या शास्ति देना अपेक्षित है––

(क) वे व्यक्ति जो संविदा पर नियुक्त हों ;

(ख) वे व्यक्ति जो सरकार के पूर्ण कालिक सेवायोजन में न हों ;

(ग) वे व्यक्ति जिन्हें आकस्मिक व्यय की धनराशि से अदायगी की जाती हो ;

(घ) वे व्यक्ति जो कार्य-प्रभारित प्रतिष्ठान में सेवायोजित हों ;

(ङ) वे व्यक्ति जिन्हें अधिवर्षिता के पश्चात् पुनः सेवायोजित किया जाय ;

(च) वे व्यक्ति जिन्हें विनिर्दिष्ट अवधि के लिये सेवायोजित किया जाय, और जिनकी सेवा का पर्यवसान उस अवधि के व्यतीत होने पर स्वतः हो जाय ;

(छ) वे व्यक्ति जिन्हें विनिर्दिष्ट अवधि के लिये इस शर्त पर सेवायोजित किया जाय कि उस अवधि में किसी भी समय कमी की जा सकती है ;

(ज) वे व्यक्ति जिन्हें अल्पकालिक व्यवस्था या रिक्तियों में नियुक्ति किया जाय और जिनकी सेवा का पर्यवसान उस व्यवस्था या रिक्ति की समाप्ति पर स्वतः हो जाय ।

विखण्डन और अपनाद

5--(1) नियुक्ति (ख) विभाग की अधिसूचना संख्या 230/2-बी-1953, दिनांक 30 जनवरी, 1953 के साथ प्रख्यापित नियम उसी दिनांक से विखण्डित हो जायेगा ।

(2) ऐसे विखण्डन के होते हुए भी यह समझा जायगा कि उक्त नियम के अधीन जो कुछ किया गया था किया जाना अभिप्रेत हो या जो कार्यवाही की गई या की गई अभिप्रेत हो वह इस नियमावली के अधीन किया गया या की गई है ।

आज्ञा से,
गुलाम हुसेन,
सचिव ।

संख्या 20/1/74(1)/नियुक्ति-3

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

(1) समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
(2) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(3) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(4) सचिव, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
(5) निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
(6) मंत्रियों के निजी सचिवों को मंत्रियों के सूचनार्थ ।

आज्ञा से,
गुलाम हुसेन,
आयुक्त एवं सचिव ।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 8 नियुक्ति--18-8-78--1747--1978--500 ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 20/1 1974-Apptt.—3, dated June 11, 1975:

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

APPOINTMENT SECTION—3

No. 20/1-1974-Apptt.—3

Dated Lucknow, June 11, 1975

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :

UTTAR PRADESH TEMPORARY GOVERNMENT SERVANTS (TERMINATION OF SERVICE) RULES, 1975

Short title, commencement and application.

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Temporary Government Servants (Termination of Service) Rules, 1975.

(2) This rule and rules 2, 3 and 4 shall be deemed to have come into force on 30th January, 1953 and rule 5 shall come into force at once.

(3) They shall apply to all persons holding a civil post in connection with the affairs of Uttar Pradesh and who are under the rule making control of Governor, but who do not hold a lien on permanent post under the Government of Uttar Pradesh.

Definition

2. In these rules "temporary service" means officiating or substantive service on a temporary post, or officiating service on a permanent post under the Uttar Pradesh Government.

Termination of Service.

3. (1) Notwithstanding anything to the contrary in any existing rules or orders on the subject, the services of a Government servant in temporary service shall be liable to termination at any time by notice in writing given either by the government servant to the appointing authority, or by the appointing authority to the government servant.

(2) The period of notice shall be one month :

Provided that the services of any such government servant may be terminated forthwith, and on such termination the government servant shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances, if any, for the period of the notice or as the case may be, for the period by which such notice falls short of one month at the same rates at which he was drawing them immediately before the termination of his services :

Provided further that it shall be open to the appointing authority to relieve a government servant without any notice or accept notice for a shorter period, without requiring the government servant to pay any penalty in lieu of notice :

Provided also that such notice given by the government servant against whom a disciplinary proceeding is pending or contemplated shall be effective only if it is accepted by the appointing authority, provided in the case of a contemplated disciplinary proceeding, the government servant is informed of the non-acceptance of his notice before the expiry of that notice.

Savings.

4. Notwithstanding anything in these rules, the tenure or continuance of engagement or employment of the following categories of persons shall be governed by the terms of their engagement or employment, and nothing in these rules shall be construed to require the giving to them, or by them of one month's notice or pay or penalty in lieu thereof before the termination of their engagement of employment—

(*a*) persons engaged on contract ;
(*b*) persons not in whole-time employment of Government ;
(*c*) persons paid out of contingencies ;
(*d*) persons employed in a work-charged establishment ;
(*e*) persons re-employed after superanuation ;
(*f*) persons employed for a specified period whose services stand determined on the expiry of that period ;

(*g*) persons employed for a specified period on condition that the period may be curtailed at any time ;

(*h*) persons appointed in short-term arrangements or vacancies whose services stand determined on the expiry of the arrangement or vacancy.

Rescission and saving.

5. (I) The rule promulgated with Appointment (B) Department notification no. 230/II-B-1953, dated January 30, 1953 shall stand rescinded with effect from the same date.

(2) Notwithstanding such rescission, anything done or any action taken or purporting to be done or taken under the said rule shall be deemed to have been done or taken under these rules.

By order,

GHULAM HUSAIN,
Secretary.

पी०एस०यू०पी००—ए०पी० 8 सा नियुक्ति—18-8-78—(1747)—1978—500 (मेक०)